



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 25]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 14, 2011/माघ 25, 1932

No. 25]

NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 14, 2011/MAGHA 25, 1932

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जनवरी, 2011

फा. सं. के.वि.प्रा./टी.ई.टी.डी./एम.पी./आर/02/2011.—केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण एतद्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 73 के खंड (ग) के साथ पठित धारा 177 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—(1) इस विनियम का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (विद्युत संयंत्रों और विद्युत लाइनों का निर्माण, प्रचालन एवं अनुरक्षण के लिए सुरक्षा आवश्यकताएं) विनियम, 2011 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं—(1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अधिनियम" से विद्युत अधिनियम, 2003 अभिप्रेत है ;

(ख) "सविदाकार" से कोई व्यक्ति या कोई अभिप्रकरण अभिप्रेत है जो दिए गए परिणाम देने को वचनबद्ध है, इसमें न केवल माल का प्रदाय या वस्तुओं का विनिर्माण ही नहीं किन्तु सिविल कार्य या उपस्कर के परिनिर्माण या जांच और उपस्कर को चालू करने अथवा प्रचालन तथा उपस्कर का अनुरक्षण भी है और इसके अंतर्गत कोई उप-सविदाकार भी है;

(ग) "स्वामी" से कंपनी या निगमित निकाय या संगम या व्यक्तियों का निकाय, चाहे निगमित हो या नहीं, या कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति जो विद्युत संयंत्रों या विद्युत लाइनों का स्वामी है या प्रचालन या रख-रखाव करता है अभिप्रेत है और जिसके अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं,—

(i) "अधिभोगी" जो कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63) में यथा परिभाषित है,

(ii) "नियोक्ता" जो भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 (1996 का 27) में यथा परिभाषित है।

(2) उन शब्दों और पदों के जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में हैं।

3. किसी विनियम का किसी अन्य विधि के अल्पीकरण में न होना— इन विनियमों के उपबन्ध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबन्धों के अतिरिक्त होंगे और न कि उनके अल्पीकरण में होंगे।

4. स्वामी से संबंधित सुरक्षा उपबन्ध— (1) स्वामी, कर्मचारियों जिसके अंतर्गत संविदाकार, उप-संविदाकार के कर्मचारियों के साथ-साथ आगंतुक भी हैं, की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा को कार्य-प्रक्रियाओं का आवश्यक भाग बनाएगा।

(2) स्वामी, विद्युत संयंत्रों और विद्युत लाइनों के लिए भा.मा. 18001 प्रमाणन की मान्यता का प्रत्यायन प्राप्त करेगा।

(3) स्वामी, ऊपर उल्लिखित प्रमाणन सभी विद्यमान विद्युत संयंत्रों, निर्माणाधीन विद्युत संयंत्रों तथा विद्युत लाइनों के लिए इन विनियमों के प्रवृत्त होने के दिन से दो वर्ष के भीतर और नए संस्थापनों के लिए निर्माण प्रारंभ होने के दो वर्ष के भीतर प्राप्त करेगा।

(4) स्वामी एक सुदृढ़ और वैज्ञानिक सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली स्थापित करेगा जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे,—

(क) कर्मचारियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य के संबंध में नीतियों का एक लिखित विवरण तैयार करना;

(ख) सुरक्षा संबंधी क्रियाकलापों को कार्यान्वित करने के लिए सभी स्तर के कृत्यकारियों के दायित्वों जिसके अंतर्गत संविदाकारों के दायित्व भी हैं, को परिभाषित करना तथा दस्तावेजी करना;

(ग) कानूनी अपेक्षाओं और विनिर्माताओं की सिफारिशों का अनुपालन करने के लिए विस्तृत सुरक्षा निर्देशिका तैयार करना;

(घ) परिसंकटमय की पहचान करने की प्रक्रिया स्थापित करना, जिससे चोट लगना या स्वास्थ्य ह्रास या मृत्यु की सम्भावना हो और ऐसे परिसंकटमयों प्रभावों को नियंत्रित करने के उपाय करना;

- (ड.) सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली कार्यान्वित करने के लिए पर्याप्त मानवीय, भौतिक और वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराना;
- (च) सुरक्षित कार्यकरण उपलब्ध कराना और उपजीविकाजन्य सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए ढांचा तैयार करना;
- (छ) चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध कराना और उनका अनुरक्षण करना;
- (ज) सभी कर्मचारियों को सुरक्षा संबंधी मामलों की जानकारी देने के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण देना;
- (झ) दुर्घटना की रिपोर्ट, विश्लेषण, जांच और सिफारिशों का क्रियान्वयन करने के लिए प्रणाली स्थापित करना;
- (ञ) व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य के संबंध में उचित संचार, प्रलेखीकरण और अभिलेख प्रबंधन के लिए पद्धति स्थापित करना;
- (ट) स्थल पर या स्थल के बाहर उत्पन्न हो सकने वाली संभावित आपात स्थितियों से त्वरित और प्रभावी रूप में निपटने के लिए आपातकालीन प्रबंधन योजना तैयार करना;
- (ठ) सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली की आंतरिक और बाह्य लेखा-परीक्षा के लिए कार्य प्रणाली स्थापित करना;
- (ड) प्रबंधन द्वारा सुरक्षा प्रणाली की आवधिक मानीटरिंग और पुनर्विलोकन के लिए प्रणाली स्थापित करना;
- (ढ) संविदाकारों के सुरक्षा निष्पादन का निरीक्षण करना।
5. सुरक्षा निर्देशिका— विनियम (4) के उप विनियम (4) के खंड (ग) में निर्दिष्ट सुरक्षा निर्देशिका स्थल विशिष्ट होगी किन्तु समरूप प्रतिष्ठापनों के लिए एकसमान सुरक्षा निर्देशिका बनाई जा सकेगी और ऐसे प्रतिष्ठापनों पर लागू की जा सकती है। इस सुरक्षा निर्देशिका में उन विषयों का समावेश होगा जो कि इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची-1 एवं अनुसूची-2 में दिए गए हैं।
6. सुरक्षा अधिकारी और सुरक्षा समिति— (1) (क) जहाँ कर्मचारियों की संख्या जिसके अंतर्गत संविदा श्रमिक भी हैं पांच सौ से अधिक हो, वहाँ स्वामी एक अर्हित सुरक्षा अधिकारी नियुक्त करेगा, और जहाँ कर्मचारियों की संख्या पांच सौ से कम है वहाँ एक उपयुक्त अधिकारी सुरक्षा अधिकारी के रूप में पदाभित होगा :

परन्तु, जहाँ कर्मचारियों की संख्या एक हजार से अधिक हो, वहाँ प्रत्येक अतिरिक्त एक हजार कर्मचारियों के लिए एक और सुरक्षा अधिकारी नियुक्त होगा।

- (ख) कोई व्यक्ति तब तक सुरक्षा अधिकारी के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा जब तक कि वह,—
- (i) कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63) की धारा 40-ख और इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन अहित नहीं है; या
 - (ii) भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियम) अधिनियम 1996 (1996 का 27) की धारा 38 की उपधारा (2) और इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन अहित नहीं है।
- (ग) (i) जहाँ नियुक्त किए गए सुरक्षा अधिकारियों की संख्या एक से अधिक हो, वहाँ उनमें से एक को मुख्य सुरक्षा अधिकारी के रूप में पदाभिहित किया जाएगा और उसका रैंक अन्य अधिकारियों से ऊंचा होगा तथा वह सुरक्षा संबंधी कृत्यों का प्रभारी होगा और अन्य सुरक्षा अधिकारी उसके नियंत्रण के अधीन कार्य करेंगे;
- (ii) यथास्थिति, मुख्य सुरक्षा अधिकारी या सुरक्षा अधिकारी को ज्येष्ठ कार्यकारी का प्रस्तर दिया जाएगा और वह सीधे मुख्य कार्यकारी के नियंत्रण में कार्य करेगा।
- (घ) सुरक्षा अधिकारी निर्माण क्रियाकलापों के आरम्भ होने से पहले नियुक्त किया जाएगा और सुरक्षा संगठन चार्ट तैयार किया जाएगा तथा उसे किसी सहज दृश्य स्थान पर उचित ढंग से प्रदर्शित किया जाएगा।
- (ङ.) सुरक्षा अधिकारी, स्वामी को वैयक्तिक क्षतियों का निवारण करने और एक सुरक्षित कार्य वातावरण बनाए रखने से संबंधित उसके उत्तरदायित्वों को पूरा करने में सलाह देगा और सहायता करेगा।
- (च) सुरक्षा अधिकारी ऐसे किसी भी कार्य को रोकने के लिए प्राधिकृत होगा जो उसके निर्णय के अनुसार असुरक्षित है और जिसके परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति को क्षति हो सकती है, उसे उन कर्मचारियों या संविदा श्रमिकों को स्थल से हटा सकने का भी अधिकार होगा, यदि वे निजी संरक्षण उपकरण का प्रयोग नहीं करते या असुरक्षित व्यवहार या प्रक्रिया में घाए जाते हैं।

(छ) सुरक्षा अधिकारी उचित सुरक्षा प्रशिक्षण प्रदान करने के क्रम में नियमित अंतराल पर सुरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम विकसित और आयोजित करेगा तथा कर्मचारियों के बीच सुरक्षा जागरूकता भी पैदा करेगा।

(2)(क) जहाँ कर्मचारियों की संख्या जिसके अंतर्गत संविदा श्रमिक भी हैं दो सौ पचास से अधिक हो, वहाँ स्वामी द्वारा एक सुरक्षा समिति गठित की जाएगी जिसमें प्रबंधकों और कर्मचारियों के प्रतिनिधियों की बराबर-बराबर संख्या होगी तथा निर्माण के दौरान सुरक्षा समिति में संविदाकार और उनके कर्मचारियों के प्रतिनिधि भी बराबर-बराबर संख्या में सम्मिलित होंगे। सुरक्षा समिति में प्रबंधन के प्रतिनिधियों में सुरक्षा अधिकारी और चिकित्सा अधिकारी भी सम्मिलित होंगे:

परन्तु, जहाँ कर्मचारियों की संख्या जिसके अंतर्गत संविदा श्रमिक भी हैं दो सौ पचास या कम है, वहाँ स्वामी द्वारा सुरक्षा समिति, यथास्थिति, विद्युत संयंत्रों या विद्युत लाइनों के समूह के लिए गठित की जाएगी।

(ख) सुरक्षा समिति कार्य स्थल पर उचित सुरक्षा और स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए श्रमिकों और प्रबंधकों के बीच सहयोग को बढ़ावा देगी।

(ग) विद्युत संयंत्रों और विद्युत लाइनों के निर्माण के दौरान सुरक्षा समिति की बैठक प्रत्येक मास में कम से कम एक बार और प्रचालन और अनुरक्षण के दौरान तीन मास में एक बार होगी। सुरक्षा समिति के निर्णयों और सिफारिशों का अनुपालन स्वामी, सुरक्षा समिति द्वारा निर्धारित समय-सीमा के भीतर करेगा।

7. संविदाकार से संबंधित सुरक्षा प्रावधान— (1) स्वामी सुरक्षा उपबन्धों को संविदा दस्तावेज में सम्मिलित करेगा जिसका अनुपालन संविदाकार के कर्मचारियों को संविदा के निष्पादन के दौरान सुरक्षित कार्यकरण को सुकर बनाने के लिए करना होगा।

(2) संविदाकार संविदा में अधिकथित सुरक्षा अपेक्षाओं का अनुपालन करेगा और उप-संविदाओं की दशा में मुख्य संविदाकार का यह उत्तरदायित्व होगा कि उप-संविदाकार के कर्मचारियों और कर्मचारिवृंद द्वारा सभी सुरक्षा अपेक्षाओं का अनुसरण हो।

(3) जिस संविदाकार के कर्मचारियों की संख्या जिसके अंतर्गत संविदा श्रमिक भी हैं दो सौ या अधिक हो, वह संविदा की सुरक्षा अपेक्षाओं का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए एक सुरक्षा संयोजक नियुक्त करेगा, और उस संविदाकार जिसके कर्मचारियों की संख्या जिसके अंतर्गत संविदा श्रमिक भी हैं दो सौ से कम है, वह अपने एक कर्मचारी को सुरक्षा संयोजक के रूप में कार्य करने के लिए नाम निर्दिष्ट करेगा जो सुरक्षा से संबंधित मामलों में सुरक्षा अधिकारी के संपर्क में रहेगा तथा उसका नाम कार्यस्थल पर एक प्रमुख स्थान पर नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित होगा।